‘पॉवर टैरिफ सब्सिडी’ योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा सरकार ने **सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों (Micro & Small Enterprises) को सस्ती बिजली** मुहैया कराने के लिये **‘पॉवर टैरिफ सब्सिडी’** योजना अधिसूचित की है।

- यह योजना **1 जनवरी, 2021 से प्रभावी** मानी जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- **हरियाणा उद्यम एवं रोज़गार नीति 2020** के तहत ‘पॉवर टैरिफ सब्सिडी’ योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत छोटे उद्योगों को ₹2 प्रति यूनिट सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।
- राज्य के ‘डी’ श्रेणी के विकास खंडों में **40 किलोवाट** और **‘सी’ श्रेणी** के विकास खंडों में **30 किलोवाट** या उससे कम के कनेक्टेड लोड वाले सभी मौजूदा और नए सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक उद्यमों को बिजली टैरिफ सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा।
- इसका लाभ उठाने के लिये किसी प्रकार का आवेदन नहीं करना होगा, हरियाणा बिजली वितरण निगम बिलों में से सब्सिडी राशि काटकर योजना का लाभ प्रदान करेंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/power-tariff-subsidy-scheme